

**लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर), बांसवाडा (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS.**

अपील संख्या – 20/2025

जी.सी.एम.एस. सं. 2025/87

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंटस:-

श्री जयन्तिलाल भट्ट पिता श्री  
उम्मेदराम भट्ट मु.पो. बडौदिया तह.  
बागीदौरा जिला बांसवाडा मो.नं.  
9784454380

बनाम

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा  
जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 30-06-2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 09-01-2023 पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा द्वारा सूचना उपलब्ध कराने पर प्राप्त सूचना से असन्तुष्ट होने के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 06-06-2025 को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 30-06-2025 को प्रत्यर्थी तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना कार्यालय के पत्रांक भूअ/ 2023/ 1776 दिनांक 07.02.2023 से अपीलार्थी को अवगत कराया कि आदेश क्रमांक 22 दिनांक 18.12.82 की प्रति संबंधित नामा. की काउंटर प्रति के साथ संलग्न नहीं है। अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।




  
लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

दिनांक 30.06.2025 को अपीलार्थी उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा के जवाब एवं उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 09-01-2023 से 1 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा के जवाब अनुसार अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक भूअ/ 2023/ 1776 दिनांक 07.02.2023 से अपीलार्थी को अवगत कराया कि वांछित सूचना आदेश क्रमांक 22 दिनांक 18.12.82 की प्रति संबंधित नामा. की काउंटर प्रति के साथ संलग्न नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसी सूचनाएं दी जा सकती हो जो लोक सूचना अधिकारी के पास मौजूद हो। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30-06-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी,  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)